कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांकः—एफ( )एफसीए/उवसं/2018—19/ 6937 दिनांकः— 5-7-18

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
टी एण्ड सी RRVPNL
जिला—खण्ड अजमेर।

विषयः— Diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in Ajmer Forest Division and 0.91 ha. in Nagour Foret Division) Forest Land in favour of Excutive Engineer, RRVPNL Ajmer for Construction of 220 K/V D/C Ajmer-Bherunda Transmission Line in Ajmer & Nagur District.

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा 3.92 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्ताधीन प्रदान किये जाने पर मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराते हुए बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र.सं.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि (रूपये में)
1	*शर्त संख्या—2* अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दुगने अवनत वनभूमि (3.92x2=7.84 ha.) अर्थात 7.84 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जावेगी। **7.84X129000=1011360/-**	1011360/-
2	*शर्त संख्या 3* अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। **3.01X530000=1595300/-**	1595300/-
3	*शर्त संख्या 4* अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफसी दि.05.02.2009 के तहत् में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। इसके उपरान्त जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, पारेक्षण लाईन के नीचे बौने पौधों का वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। **3.01X803000=2417030/-**	2417030/-
	कुल योग—	**5023690/-**

क्र.सं. 1, 2 एवं 3 की राशि **50,23,690/—** रूपये तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल OSMFWCP द्वारा सृजित ई चालान द्वारा जमा की जावेगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :— सम / दिनांक :—

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल एफसीए, राजस्थान जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
अजमेर

PR: 122
6/7/18

D/Store/FCA 2018

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ( )तक/उवसं/2018-19/3342 दिनांक : 09.07.2018

निमित्त :

अधिशासी अभियन्ता(टी.एण्ड सी.),
राजस्थान विद्युत वितरण प्रसारण निगम लि.,
अजमेर, राजस्थान

Sub : diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in ajmer Forest division & 0.91 ha. in nagaur forest division) of forest land in favour of Executive Engineer] Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Ltd., Ajmer for construction of 220 KV D/C Ajmer-Bherunda Transmission line in ajmer & nagaur district.

प्रसंग : पर्यारवण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 230 दिनांक 28.06.2018 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार ने अजमेर से भैरून्दा ट्रांसमिशन लाईने हेतु वांछित 3.92 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्ताधीन प्रदान की है। अतः शर्तो के अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर पालना भिजवाना सुनिश्चित करावे:—

1. बिन्दु संख्या 3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 4,82,300 रू (चार लाख बयासी हजार तीन सौ रूपये) राशि जमा करावे।
2. बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 7,30,730 रू. (सात लाख तीस हजार सात सौ तीस रूपये मात्र)राशि जमा करावे।

उक्त तीनों बिन्दुओं की शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं दूसरी सभी निधियो प्रतिपर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-11003 के तदर्थ लेखा में वैबपोर्टल **OSMFWP** पर सृजित ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर जमा राशि की पावती की प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन. पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया हो) भिजवावे।

उक्त के अलावा सैद्धांतिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 2 व 5 से 12 की बिन्दुवार पालना सैद्धांतिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय
Mohit.
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
नागौर

क्रमांक : सम/ दिनांक : 09.07.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(FCA) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
नागौर

D:\DCF Office\Ashu\DFO All Letter\FCA\220 KV ajmer-bherunda.docx

Scanned by CamScanner